न्यायालय सेशन न्यायाधीश, सिरोही

पीठासीन अधिकारी : अजय शर्मा (DJ Cadre)
सेशन प्रकरण संख्या : 13/2021 (C.I.S No. 13/2021)

राजस्थान राज्य

——अभियोगी

विरुद्ध

शांतिलाल पुत्र लक्ष्मणलाल उम्र 26 वर्ष निवासी लराठी नाडीदरा पुलिस थाना खेरवाडा जिला उदयपुर (राज0) **——अभियुक्त**

अपराध अन्तर्गत धारा 363, 366ए, 344 भा.दं.सं.
प्राथमिकी संख्या 50/2020 पुलिस थाना अनादरा

उपस्थितिः—
1. श्री लक्ष्मणसिंह बाला लोक अभियोजक
2. श्री भंवरसिंह देवडा, अधिवक्ता अभियुक्त

निर्णय

दिनांक : 27.04.2026

01. आरक्षी केन्द्र अनादरा की प्रथम सूचना रिपोर्ट 50/2020 अपराध अंतर्गत धारा 363, 366ए भा.दं.सं. के आधार पर थानाधिकारी पुलिस थाना अनादरा द्वारा अभियुक्त शांतिलाल के विरूद्ध आरोप पत्र अंतर्गत धारा 363, 366ए, 344 भा.दं.सं. के तहत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट रेवदर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। मामला अनन्य रूप से सेशन न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने से इस न्यायालय को उपार्पित किया गया जो इस न्यायालय में विचारण हेतु दिनांक 10.02.2021 को प्राप्त हुआ। आगे इस निर्णय में पीड़िता को ''पी'' या ''पीड़िता'' के नाम से सम्बोधित किया जायेगा।

02. सारतः व संक्षिप्ततः इस दाण्डिक प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 16.05.2020 को परिवादी पीडिता के पिता 'के' ने पुलिस अधीक्षक, सिरोही के समक्ष एक टंकित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी.01 इस आशय की पेश की कि वह वीरपुर का स्थाई निवासी है तथा वर्तमान में गांव हाथल में अहिलेश ओझा के यहां कृषि कार्य कर अपना व अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। वह, उसकी पत्नी व उसकी पुत्री 'पी' जिसकी उम्र 16 वर्ष 10 माह वर्तमान में वह अपने पास कृषि कार्य हेतु हाथल लेकर आया था। उसकी नाबालिग पुत्री दिनांक 26.12.2019 को उसको बिना बताये खेत से चली गई,

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
13.05.2026 10:48
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

उस वक्त वह तथा उसकी पत्नी खेत के अन्दर कार्य कर रहे थे। उन्होंने उसे ढुंढने की कोशिश की तो पता चला कि वो अनादरा सामान लेने हेतु गई है शाम तक उसकी पुत्री नहीं लौटी व शाम को वे कृषि कार्य कर खेत पर जंहा रहते हैं वहां पर आये तो उसकी पुत्री को नहीं पाया तब उसकी पुत्री को फोन किये तो उसका फोन बन्द आ रहा था। दुसरे दिन दिनांक 27.12.2019 को वे अपने गांव बीरपुर चले गये तथा सगे संबंधियों व अन्य लोगों से पुछताछ की लेकिन 'पी' का कहीं पर पता नहीं चला। उसकी छोटी बेटी ने 3–4 दिन बाद उसे कहां कि शांतिलाल पीडिता को फोन करता था तो रिश्तेदारो के जरिये लराठी में पता करने की कोशिश की तो पता चला कि दिनांक 26.12.2019 को शांतिलाल व उसका भाई विकास तथा चुत्रीलाल व कुसुम बहन उसकी नाबालिग पुत्री का अपहरण करके लेकर चले गये है। उसकी पुत्री की सगाई भी हाथल में की हुई है। उक्त व्यक्ति आदतन अपराधी हैं तथा भोलीभाली लडकियों को लेकर जाते है तथा उनका आगे बेचान वगैरा कर देते है। करीब 20 दिन पूर्व उसकी छोटी पुत्री के पास पीडिता का फोन आया तथा उसने कहां कि उसे उक्त लोग जबरदस्ती उठाकर ले गये है तथा उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहै है शांतिलाल व उक्त लोगों ने उसे इतने दिनों तक बन्दी बनाकर रखा हुआ है तथा उसकी हालत भी खराब है। उक्त व्यक्ति उसकी पुत्री के साथ कुछ भी कर सकते है.....इत्यादि।

03. बहस आरोप सुनी जाकर अभियुक्त शांतिलाल को अपराध अंतर्गत धारा 363, 366ए, 344 भा.दं.सं. के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्त ने आरोपित अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से उक्त आरोपों की पुष्टि हेतु मौखिक साक्ष्य में निम्न साक्षियों की साक्ष्य लेखबद्ध करायी –

साक्षी का क्रम अभियोजन साक्षी (पी.डब्लयु)	**साक्षी का नाम**	**साक्ष्य की प्रकृति**
1	'के'	पीडिता का पिता
2	'पी'	पीडिता

तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रुप में निम्न दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया :–

प्रदर्श पी	**फर्द**	**प्रमाणितकर्ता गवाह**
1	प्रथम सूचना रिपोर्ट	पी.ड.1, 2
2, 3	पीडिता के पिता के पुलिस बयान	पी.ड.1

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
13.05.2026 10:48
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

4	फर्द सुपुदर्गी	पी.ड.1, 2
5	पुलिस तहरीर	पी.ड.1, 2
6	पीडिता के पुलिस बयान	पी.ड.2
7	पीडिता के धारा 164 दं.प्र.सं.के बयान	पी.ड.2

05. हस्तगत प्रकरण में पीडिता का पिता परिवादी पी.डब्लयु.1 एवं स्वयं पीडिता पी.डब्लयु.2 अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई कथन नहीं करते है तथा अभियोजन कहानी का कतई समर्थन नहीं करते है, जिस पर विद्वान लोक अभियोजक ने अपनी शेष साक्ष्य को समाप्त किया।

06. अभियुक्त को धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता (351 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता) के तहत परीक्षित किये जाने पर अभियुक्त ने अपने स्पष्टीकरण में साक्ष्य अभियोजन पक्ष को गलत होना व स्वयं को निर्दोष होना बताया। अभियुक्त की ओर से बचाव में किसी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य को पेश नहीं किया गया।

07. बहस अंतिम उभय पक्ष सुनी गई एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

08. विद्वान लोक अभियोजक ने निवेदन किया कि पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित आरोप युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित है। अतः अभियुक्त को आरोपित आरोप में दोष सिद्ध घोषित किया जावें।

09. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए निवेदन किया कि अभियुक्त निर्दोष है, उसे झूंठा फंसाया गया है। उसका तर्क हैं कि अभियुक्त का इस घटना से कोई लेना–देना नहीं है, पीडिता बालिग होकर सहमत पक्षकार थी तथा पीडिता एवं अभियुक्त ने दोनों परिवारों की सहमति से शादी की है तथा उनके दो बडे बच्चे भी है। पीडिता व उसका पिता अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई कथन नहीं करते है। अतः उनका तर्क हैं कि अभियुक्त को आरोपित अपराध से दोषमुक्त किया जावें।

10. उभय पक्षकारान के तर्कों पर ध्यानपूर्वक मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। हमारे समक्ष प्रकरण में विचारण हेतु निम्न अवधार्य प्रश्न व्युत्पन्न होते है :–

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
13.05.2026 10:48
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

i. **क्या अभियुक्त शांतिलाल ने दिनांक 26.12.2019 को दिन में किसी समय सरहद मौजा हाथल से परिवादी 'के' के अवयस्क पुत्री पीडिता 'पी' को उसके माता–पिता की संरक्षकता से उसकी सम्मत्ति के बिना अयुक्त संभोग के लिए विवश या विलुब्ध किये जाने या उसके साथ शादी किये जाने के प्रयोजन से उसे बहला फुसलाकर गांव लराठी ले जाकर उसका व्यवहरण/ अपहरण कर उपापन किया तथा करीब एक माह तक उसका सदोष परिरोध किया ?**

ii. **यदि हां, तो अभियुक्त के लिए उचित दण्ड क्या हो ?**

11. उभय पक्ष के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त विचारणीय बिन्दुओं के प्रमाणिकरण हेतु हस्तगत प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण साक्षी परिवादी पीडिता का पिता पी.डब्लयु.1 'के' अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन करता है कि पीडिता उसकी बेटी है, उसकी आयु 18 वर्ष होने के बाद उसकी सगाई हाजिर अदालत मुल्जिम शांतिलाल के साथ में की हुयी थी, सगाई होने से दोनों आपस में मिलते झुलते रहते थे तथा प्रेम करते थे। वर्ष 2019 में वह हाथल गांव में अहीलेश ओझा के कुएं पर काश्त करता था, उस वक्त उसकी आर्थिक स्थिति सही नहीं होने से वह साल भर बाद में शादी करवाना चाहता था किन्तु शांतिलाल के परिवार वाले उसकी शादी जल्दी करवाना चाहते थे इसलिए दोनों ने आपस में शादी कर ली थी। उसकी पुत्री वर्तमान में शांतिलाल के साथ ही उसकी पत्नी के रूप में निवास कर रही हैं तथा उसके 2 बच्चे हैं, बडा बच्चा 7 वर्ष का हैं तथा छोटा 4 वर्ष का हैं। उसकी पुत्री को शांतिलाल शादी करने की नियत से भगाकर लेकर नहीं गया था अपितु दोनों के मध्य आपस में सगाई होने से राजीखुशी उन्होंने शादी की थी। उसने इस विषय में पुलिस को रिपोर्ट नहीं दी, न ही पुलिस ने उसके कोई बयान लिए थे। उसकी पुत्री लोक भारती उत्तर बुनायदी आश्रम शाला अभापुर जिला साबरकांठा में पढी हुयी हैं, उसकी आयु स्कुल में अनुमान के आधार पर अध्यापक ने लिखी थी। उसकी बच्ची की वास्तविक जन्म तिथी उसे मालुम नहीं हैं। उसकी पुत्री उसके पति शांतिलाल के साथ राजीखुशी रह रही हैं। विद्धान लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसकी साक्ष्य है कि यह सही हैं कि उन दोनों के दाम्पत्य जीवन से दो संताने उत्पन हुयी है। यह कहना सही हैं कि रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 पर ए से बी स्थान पर उसके हस्ताक्षर हैं। रिपोर्ट प्रदर्श पी 1 का हिस्सा ए से बी सुनकर उसने कहा ऐसी रिपोर्ट उसने नहीं लिखवायी थी अपितु टाईप वाले से अहीलेश ने लिखवायी थी। पुलिस बयान प्रदर्श पी.2 एवं 3 का ए से बी हिस्सा सुनकर, ऐसे बयान देने से इंकार किया। इस साक्षी ने इस

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
13.05.2026 10:48
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

सुझाव को गलत होना बताया है कि उसकी पुत्री को स्कूल लोक भारती उत्तर बुनायदी आश्रत शाला अभापुर जिला साबरकांठा में उसने भर्ती कराया हो तथा उसकी जन्म दिनांक 02.09.2003 उसने दर्ज करायी हो। इस प्रकार यह साक्षी पीडिता का पिता होकर अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार का कोई कथन नहीं करता है तथा अभियोजन कहानी का तनिक मात्र भी समर्थन नहीं करता है।

12. इसी प्रकार हस्तगत प्रकरण की महत्वपूर्ण साक्षी पीडिता पी.डब्लयु.2 भी अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन करती है कि वर्ष 2019 में उसके पिताजी हाथल गांव में अहीलेश जी के खेत पर काश्त करते थे, उस वक्त उसकी उम्र 18 वर्ष से ज्यादा होने से उसके पिताजी ने उसकी सगाई हाजिर अदालत मुल्जिम शांतिलाल के साथ कर दी थी, सगाई होने से शांतिलाल अपने परिवार सहित हमारे हाथल गांव में अहीलेश जी के कुएं पर आता जाता रहता था, जिससे उसके व शांतिलाल के मध्य बातचीत होती रहती थी तथा वे दोनों आपस में मिलते रहते थे, उसके पिताजी उसकी शादी एक साल बाद में करवाना चाहते थे, किन्तु वह तथा शांतिलाल व उसका परिवार तुरंत शादी करना चाहते थे, इसलिए वे दोनों बालिग होने से दोनों ने आपस में शादी कर ली थी तथा शादी करने के बाद आज दिन तक पति पत्नी के रूप में साथ में दाम्पत्य जीवन का निर्वहन कर रहे हैं। दाम्पत्य जीवन के निर्वहन से उनके दो संताने उत्पन्न हुयी हैं जिसमें से एक की आयु 7 वर्ष व दुसरे की आयु 4 वर्ष हैं। उनके मध्य किसी प्रकार का विवाद नही हैं। उसे शांतिलाल उसकी नाबालिग की अवस्था में शादी करने की नियत से भगाकर लेकर नहीं गया था व न ही उसने उसे एक माह तक जबरदस्ती बंधक बनाकर रखा था। उसे पुलिस ने नहीं पकडा था अपितु वह तथा शांतिलाल दोनों उसके पिता से आशीर्वाद लेने के लिए आए थे। विद्वान लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उसकी साक्ष्य है कि यह सही हैं कि वह वर्तमान में मुल्जिम शांतिलाल की पत्नी के रूप में उसके साथ में निवासरत है। उसके पुलिस में बयान नहीं हुए थे, पुलिस बयान प्रदर्श पी 6 का हिस्सा ए से बी उसने पुलिस में नहीं दिया था। यह कहना सही हैं कि उसके न्यायिक मजिस्ट्रेट आबूरोड के समक्ष बयान प्रदर्श पी 7 हुए थे। पीडिता ने इस सुझाव को गलत होना बताया है कि वह वक्त घटना नाबालिग होकर 17 वर्ष 05 माह की हो, अपितु उसको स्कूल में भर्ती करवाया तब वह 8–9 साल की थी तथा वह दिनांक 26.12.2019 को 18 साल से ज्यादा उम्र की थी। इस प्रकार यह साक्षी प्रकरण की महत्वपूर्ण पीडिता होकर भी अभियुक्त के विरूद्ध किसी प्रकार का

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
13.05.2026 10:48
Steno Gr. I
(Authenticated Document)

कोई कथन नहीं करती है तथा अभियोजन कहानी का तनिक मात्र भी समर्थन नहीं करती है।

13. इस प्रकार उपरोक्त विवेचनानुसार अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरूद्ध अपराध अंतर्गत धारा 363, 366ए, 344 भा0दं0सं0 का आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णतः असफल रहा है। अतः अभियुक्त आरोपित अपराध से साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त किये जाने योग्य है।

:: आदेश ::

14. परिणामतः अभियुक्त शांतिलाल पुत्र लक्ष्मणलाल उम्र 26 वर्ष निवासी लराठी नाडीदरा पुलिस थाना खेरवाडा जिला उदयपुर (राज0) को अपराध अंतर्गत धारा 363, 366ए, 344 के आरोप से साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त घोषित किया जाता है।

15. अभियुक्त के न्यायालय में हाजिरी बाबत् जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं। प्रकरण में जब्तशुदा माल यदि कोई हो तो उसे नियमानुसार निस्तारित कर दिया जावे।

(अजय शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, सिरोही

16. निर्णय आज दिनांक 27.04.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

(अजय शर्मा)
सेशन न्यायाधीश, सिरोही

Signature Not Verified
DEEPAK GUPTA
13.05.2026 10:48
Steno Gr. I
(Authenticated Document)